

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, पटना सिटी
T.S. 136/2022

22.06.2022

वादी की ओर से हाजरी तथा एक आवेदन पत्र U/O VI Rule 17 R/W Section 151 C.P.C. दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता अपने दाखिल संशोधन आवेदन पत्र को संचालित कर निवेदन करते हैं कि भूलवश वाद के Suit Value-36,000/- लिखा गया है। इसे सुधार कर 3,60,000/- किया जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद अभी ग्रहण नहीं किया गया है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पत्र शपथयुक्त है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पत्र U/o VI, Rule 17 R/W Section 151 C.P.C. न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी संशोधन आवेदन पत्र के आलोक में वाद में नियमानुसार संशोधन करें। संशोधनोपरान्त कार्यालय लिपिक सिरिस्तेदार से प्रतिवेदन की मांग करें। वाद दिनांक 6.7.22 वास्ते प्रस्तुत करें।


अवर न्यायाधीश, प्रथम
पटना सिटी